(ख) यदि हां, तो नाविकों सहित कितने व्यक्तियों के मरने की आशंका है और कितने शव अब तक निकाल लिए गए हैं और पहचान कर लिए गए हैं;

(ग) क्या मृतकों के परिवारों को सरकारी तौर पर सूचित कर दिया गया है;

(घ) यदि नहीं; तो ऐसा करने में सरकार को क्या कठिनाइयां हो रही हैं;

(ङ) मृतकों के परिवारों को सहायता देने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है;

(च) क्या सरकार मृतकों के प्रत्येक परिवार को दो लाख रुपये का मुआवजा देने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो यह राशि कब तक वितरित कर दी जाएगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री के. विजय भास्कर रेड्डी): (क) जी, हां ।

(ख) जिन 31 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने की आशंका थी, उनमें से 16 के शव प्राप्त कर लिए गए हैं । इनमें से 12 शवों की शिनाख्त कर ली गयी है ।

(ग) और (घ). जहाज मालिक और शिपिंग मास्टर, बम्बई ने इस दुर्घटनाग्रस्त जहाज के कर्मीदल के निकटतम सम्बन्धियों को सूचित कर दिया है ।

(ङ) से (छ). नाविक संघों और नियोक्ताओं के बीच द्विपक्षीय करार के अनुसार ही कर्मीदल के सदस्यों को मुआवजा दिया जाता है । सरकार दो लाख रुपये का मुआवजा देने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

नौवहन कंपनियों के कार्यकरण के बारे में पद्मनाभन समिति का प्रतिवेदन

*श्रीमती किशोरी सिन्हा:
श्री रवीन्द्र वर्मा:

क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नौवहन कंपनियों के कार्यकरण की जांच करने के लिए पद्मनाभन समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस समिति का प्रतिवेदन इस बीच प्राप्त हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी): (क) भारत के विदेश व्यापार में ट्राम्प प्रचालकों के विनौने क्रियाकलाप का अध्ययन करने के लिए पद्मनाभन समिति गठित की गयी थी ।

(ख) जी, हां।

(ग) समिति ने ग्यारह सिफारिशें की जिनमें से नौ सामान्य किस्म की थीं। अन्य दो सिफारिशें नौवहन एजेंटों को लाइसेंस देने की पद्धति शुरु करने और बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कोचीन के चार महापत्तनों में स्थायी समितियां गठित करने से संबंधित थीं ।

एक को छोड़कर सभी सिफारिशों को मान लिया गया है और इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । अभी एक सिफारिश पर निर्णय नहीं किया गया है ।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के दैनिक मजूरी पर काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित करना

*455. **श्री राम सिंह शाक्य**: क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय देश भर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की विभिन्न सभी शाखाओं, स्मारकों और पार्कों में कर्मचारी दैनिक मजूरी पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो दैनिक मजूरी पर काम करने वाले कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया है; और

(ग) दैनिक मजूरी के ऐसे कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने में वास्तव में कितनी प्रगति हुई है?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी. के. थुंगन):

(क) जी हां ।

(ख) दैनिक मजदूरों की सेवाओं को नियमित करने का मानदण्ड वही है जो गृह मंत्रालय के अनुदेशों में निहित है । संक्षेप में वे इस प्रकार हैं:—

(1) दैनिक मजदूरों को रोजगार कार्यालय के माध्यम से काम पर लगाया जाना चाहिए । यह शर्त उन दैनिक मजदूरों के लिए लागू नहीं होती जो 20 मार्च 1979 तक कार्य पर लगाये गये थे और अन्यथा सभी प्रकार से योग्य थे ।

(2) जिन्होंने दैनिक मजदूर के रूप में लगातार दो वर्षों तक सेवा की हो और दैनिक मजदूर के रूप में दो वर्षों की सेवा के दौरान कम से कम 240 दिनों तक (इसमें सेवा भंग की अवधि भी शामिल है) जिन्हें काम पर लगया गया हो, वे भी नियमित किए जाने योग्य है ।

(3) दैनिक मजदूर के रूप में सेवा भंग की अवधियों पर भी विचार किया जाता है, बशर्ते कि ऐसी सेवा अवधि लगातार छः महीने से अधिक की हो ।

(4) दैनिक मजदूरों को नियमित किए जाने की तारीख को अधिकतम आयु-सीमा में होना चाहिए । एतदर्थ आयु-सीमा पर निर्णय लेने के लिए दैनिक मजदूर के रूप में उसके द्वारा की गई सेवा को अवधि को घटा दिया जाता है ।

(5) दैनिक मजदूरों के पास इस पर के लिए शैक्षिक अर्हताएं होनी चाहिए ।

(ग) 340 दैनिक मजदूरों की सेवाएं निर्धारित कर दी गई है ।

Indo-U.K. talks on international situation

*456. SHRI H. N. NANJE GOWDA:
SHRI P. M. SAYEED:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether talks to review the international situation were held recently between India and the United Kingdom;

(b) if so, the outcome thereof; and

(c) reaction of the Government thereto?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI P. V. NARASIMHA RAO): (a) Yes Sir.

Annual Indo-British official talks at the level of Foreign Secretaries were held on February 3, 1983 at New Delhi.

(b) and (c). The two sides reviewed the international political and economic situation and Indo-British bilateral relations.

भारत-पाकिस्तान सीमा पर खोखरापार मार्ग का खोला जाना

*457 **श्री जयपाल कश्यप:**
श्री मंगल राम प्रेमी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पाकिस्तान प्राधिकारियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच खोखरापार का रास्ता खोलने से इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि कुछ लोगों ने उक्त रास्ते को खोलने के लिए सरकार से लिखित रुप में आग्रह किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या ह?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव): (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) 14 सितम्बर, 1974 के भारत-पाक वीसा करार में यह व्यवस्था है कि एक देश से दूसरे देश को जाने/आने वाले जाने/आने वाले राष्ट्रिकों के प्रवेश/निकास के लिए सीमा पर दो पड़ताल चौकियां—वामा/अट्टारी और खोखरापार-मुनाबाओ—खोली जाएं । लेकिन अब तक अकेली वामा/अट्टारी पड़ताल-चौकी ही खुली रही है । सरकार ने विभिन्न अवसरों पर मौखिक रुप से और लिखित रूप में भी, खोखरपार-मुनाबाओ पड़ताल चोकी के लिए पाकिस्तान सरकार ने ऐसा करने से इन्कार किया है ।

Schemes to help Women through voluntary agencies

*458. SHRI K. PRADHANI: Will the Minister of SOCIAL WELFARE be pleased to lay a statement showing:

(a) whether Government have launched some welfare schemes under the Social